उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0—50/2021

आशा देवी वगै0..............................वादीगण।

बनाम्

ललन सिंह वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

10.03.2026 वादी अनुपस्थित है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी की तरफ से आज कोई पैरवी भी नहीं है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 24.01.2023 के आदेश का पालन आजतक नहीं किया गया है तथा वादी को वाद में उचित पैरवी हेतू कई बार अंतिम अवसर दिया गया है। किन्तु वादी द्वारा आजतक कोई पैरवी नहीं किया गया और ना ही कोई उचित कदम उठाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गया है, जब कि वाद वर्ष 2021 से लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को और अधिक समय के लिए लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)